न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री एल.एन मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 253/2019/(2019/00253) जिला–अजमेर

श्री राजेन्द्र वैष्णव पुत्र स्व0 छीतरदास, जाति वैष्णव, उम्र लगभग, 37, निवासी ग्राम माकड़वाली, हाल पता चाचियावास तहसील व जिला अजमेर।

———अपीलार्थी

बनाम

1. श्री सुरेन्द्र वैष्णव पुत्र धूलादास जाति वैष्णव, उम्र 44, निवासी ग्राम माकड़वाली हाल पता चाचियावास तहसील व जिला अजमेर।
2. श्रीमती भंवरी देवी पत्नी श्री छोटू दास पुत्री स्व0 हनुमानदास, जाति वैष्णव, उम्र लगभग 65 वर्ष, हाल निवासी ग्राम खण्डाच, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
3. श्रीमती मन्ना देवी उर्फे मनभर पत्नी स्व0 श्री महावीर पुत्री स्व0 हनुमानदास जाति वैष्णव उम्र लगभग 55 वर्ष हाल निवासी ग्राम खण्डाच, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
4. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नी नंदकिशोर पुत्री स्व0 हनुमानदास जाति वैष्णव उम्र लगभग 42 वर्ष हाल निवासी शांति नगर, पानी की टंकी के पास, सरदार सिंह जी की ढाणी का रास्ता, किशनगढ़ जिला अजमेर।
5. श्री महावीर पुत्र स्व0 हनुमान दास जाति वैष्णव उम्र लगभग 52 वर्ष निवासी चाचियावास वाया गगवाना जिला अजमेर।
6. श्री शिवराज पुत्र स्व0 हनुमानदास, जाति वैष्णव उम्र लगभग 50 वर्ष निवासी चाचियावास वाया गगवाना जिला अजमेर।
7. श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व0 श्री छीतरदास जाति वैष्णव उम्र लगभग 55 वर्ष निवासी चाचियावास वाया गगवाना जिला अजमेर।
8. श्रीमती सरोज देवी पत्नी श्री नेमीचन्द पुत्री स्व0 छीतरदास जाति वैष्णव उम्र लगभग 42 वर्ष निवासी ग्राम आलनियावास जिला नागौर।
9. श्री नेमीचन्द पुत्र स्व0 छीतर दास जाति वैष्णव उम्र लगभग 32 वर्ष निवासी चाचियावास वाया गगवाना जिला अजमेर।
10. श्री लल्लू उर्फ खेमचन्द पुत्र स्व0 छीतर दास जाति वैष्णव उम्र लगभग 28 वर्ष निवासी चाचियावास वाया गगवाना जिला अजमेर।
11. श्रीमती कमला देवी पत्नी स्व0 केशवदास पुत्री स्व0 मोहनदास जाति वैष्णव उम्र लगभग 75 वर्ष निवासी ग्राम मेहगंव तहसील परबतसर जिला नागौर।
12. श्रीमती गीता देवी पत्नी स्व0 रामदास पुत्री स्व0 मोहनदास जाति वैष्णव उम्र लगभग 50 वर्ष निवासी मेहगांव तहसील परबतसर जिला नागौर।
13. श्री मदनलाल पुत्र स्व0 मोहनदास जाति वैष्णव उम्र लगभग 55 वर्ष निवासी चाचियावास वाया गगवाना जिला अजमेर।
14. श्री मनोहर लाल पुत्र स्व0 हीरालाल जाति वैष्णव उम्र लगभग 43 वर्ष निवासी चाचियावास वाया गगवाना जिला अजमेर।

15. श्री राकेश पुत्र स्व0 हीरादास जाति वैष्णव उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी चाचियावास वाया गगवाना जिला अजमेर।
16. श्री पारस वैष्णव पुत्र स्व0 हीरादास जाति वैष्णव उम्र लगभग 38 वर्ष निवासी चाचियावास वाया गगवाना जिला अजमेर।
17. श्रीमती सायरी देवी पत्नी स्व0 धूलादास जाति वैष्णव उम्र लगभग 65 वर्ष निवासी चाचियावास वाया गगवाना जिला अजमेर।
18. श्रीमती सुशीला देवी पत्नी हरीराम पुत्री स्व0 धूलादास जाति वैष्णव उम्र लगभग 47 वर्ष निवासी ग्राम चीताखेड़ा वाया कुचील जिला अजमेर।
19. श्रीमती विमला देवी पत्नी कानाराम पुत्री स्व0 धूलादास जाति वैष्णव उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी ग्राम खण्डाच वाया मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर।
20. श्रीमती सम्पत देवी पत्नी स्व0 श्री नाथूदास पुत्री स्व0 हनुमानदास जाति वैष्णव उम्र लगभग 70 वर्ष हाल निवासी आजाद पार्क आजाद नगर मदनगंज किशनगढ़ अजमेर।
21. श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी प्रकाश पुत्री स्व0 छीतर दास जाति वैष्णव उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम सेवरिया वाया रास जिला पाली।
22. जिला कलक्टर जिला कलक्टर कार्यालय अजमेर।
23. तहसीलदार अजमेर ।
24. उप पंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय अजमेर।
25. सहायक आयुक्त, देव स्थान विभाग, जयपुर रोड़, अजमेर।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश तहसीलदार अजमेर नामान्तरकरण संख्या 396 दिनांक
10–4–1965 अपास्त करने बाबत।

————

उपस्थित–
1. श्री राकेश जैन अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री विनोद कच्छावा, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1,5,6,7,9,10,13,1415,16,17
3. श्री विष्णु शर्मा, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2,3, 4, 8,11,12,18,19,20,21
4. श्री बी.एस.शेखावत, राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 23

निर्णय

दिनांकः—20.03.2020

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम माकड़वाली में स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 1680, 1686 मिन, 1684, 1685 मिन, 1737, 1671 कुल रकबा 28 बीघा है जो कि श्री धन्नानाथ पुत्र धरमीदास उर्फ धन्नालाल को बक्सीस में प्राप्त हुई थी। स्व0 श्री धन्नानाथ अपीलार्थी के पूर्वज थे जो कि ग्राम माकड़वाली व चाचियावास के मंदिरों की सेवा—अर्चना, बहीभाट का कार्य करते व सम्पत्ति दान में प्राप्त वस्तु से अपना व परिवार का पालन पोषण करते थे। स्व0 धन्नानाथ/धरमीनाथ उर्फ धन्नालाल व उनके परिवार में उनके भाई प्रेमदास, कानडदास, अमरदास उन सभी की मृत्यु के पश्चात उक्त सम्पत्ति का वारिसान अपीलार्थी ही है। परन्तु स्व0 धूलादास पुत्र स्व0 श्री मोहनदास ने नामान्तरकरण संख्या 396 दिनांक 10—4—1965 को अपने अकेले के नाम उक्त सम्पत्ति का नामान्तरकरण करवा लिया। उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Subject-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा मियाद अधिनियम की धारा—5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि न्यायालय तहसीलदार अजमेर के उक्त आदेश दिनांक 10—4—1965 की जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी। चूंकि अपीलार्थी अपनढ़ होने के कारण तहसीलदार द्वारा किये गये आदेश के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत नहीं कर सका। अधिवक्ता से मिली जानकारी के अनुसार उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के पश्चात अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी अधिवक्ता की मियॉद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर की गयी बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा आक्षेपित नामांतरणकरण संख्या 396 दिनांक 10.04.1965 की अपील भारी मियॉद बाहर अर्थात् 54 वर्षों के विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है जो अनुचित है । नियमानुसार मियॉद मे छूट चाहने हेतु विलम्ब के लिये प्रत्येक दिवस का यथोचित कारण प्रस्तुत करना होता है जो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियॉद अधिनियम के धारा 5 के प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत अपील पेश होने में किये गये विलम्ब के लिये अंकित नहीं किये हैं अतएव ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने में 54 वर्षों की भारी मियॉद बाहर की अवधि को क्षमा किया जाना कतई न्यायोचित नहीं है । अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत का मियॉद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर निरस्त किये जाने योग्य है ।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियॉद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों तथा अभिभाषक प्रत्यर्थीगण के जवाब पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलान्ट् द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि स्व0 श्री धन्नादास जो कि अपीलार्थी के पूर्वज थे ना कि भगवान पृित सन्यासी या संत थें। चूंकि उक्त व्यक्ति वैष्णव धर्म के लोगों के बहीभाट का कार्य करने व मंदिर में निवास करते थे। इस कारण से स्व0 श्री धन्नालाल उर्फ धरमीदास को धन्नानाथ महाराज की उपाधी दे दी गई और उक्त सम्पत्ति में भी स्व0 श्री धन्नानाथ /धरमीदास उर्फ धन्नालाल का स्थाई पता मंदिर धन्नानाथ महाराज किया जाने के कारण तहसीलदार अजमेर द्वारा उक्त सम्पत्ति को मंदिर के पुजारी के नाम अंकित करते हुए धूला के नाम नामान्तरकरण अंकित कर दिया गया जो कि गलत है। अतः उक्त वर्णित सम्पत्ति को अपीलार्थी व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 21 के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उक्त सम्पत्ति स्व0 श्री धन्नादास को बक्सीस में प्राप्त हुई थी इसलिए उक्त सम्पत्ति का मालिक स्व0 धन्नादास उर्फ धन्नानाथ होने के कारण उक्त सम्पत्ति के मालिक अपीलार्थी है और अपीलार्थी अनपढ़ होने के कारण उक्त सम्पत्ति को अपने नाम दर्ज करवाने में अत्यधिक समय व्यर्थ कर दिया गया। उक्त सम्पत्ति पर अपीलार्थी का कब्जा काश्त है तथा एक फसली व पशुओं को चराने हेतु उक्त भूमि आज भी अपीलार्थी के उपयोग में ली जा रही है। उक्त सम्पत्ति स्0 श्री धन्नानाथ उर्फ धन्नादास को बक्सीस में प्राप्त हुई बाबत अपीलार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में अंकन बाबत ध्यान नहीं देने के कारण भू–सेटलमेंट के समय अलग–अलग नामों से उक्त सम्पत्ति की प्रविष्टी रिकार्ड में हो गई। अपीलार्थी के अलावा अन्य वारिसान अलग–अलग गांवों में व बेटियों का विवाह अन्य स्थानों पर व अन्य तहसीलों में होने के कारण उक्त सम्पत्ति का सही तरह से भू–राजस्व विभागों में इन्द्राज नहीं हो सका। उक्त सम्पत्ति पूर्व में अपीलार्थी के पूर्वज और स्व0 धरमीदास उर्फ धन्नानाथ के भाई भतीजे हनुमानदास, चन्द्रदास, धूलादास, छोटूदास, प्रभुदास, मोहनदास आदि के नाम भी उक्त सम्पत्ति खातेदारी व काश्तकारी भूमि रही है। परन्तु उक्त भूमि में अपीलार्थी के पिता स्व0 छीतरदास का नाम व मदनदास व हीरादास का अंकन होने से रह गया था और छीतरदास की मृत्यु दिनांक 6–6–1993 को होने के पश्चात अपीलार्थी उक्त सम्पत्ति का बहैसियत वारिसान है।

उनका यह भी तर्क है कि धन्नानाथ /धरमीदास उर्फ धन्नालाल की मृत्यु के पश्चात उक्त वर्णित खातेदारी काश्तकारी भूमि को तहसीलदार अजमेर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 396 दिनांक 10–4–65 को मंदिर श्री धन्नानाथ जी महाराज के पुजारी धूला के नाम दर्ज कर दिया गया जो गलत व शून्य है जबकि

वास्तविकता यह है कि उक्त सम्पत्ति पर कब्जा काश्त धन्नानाथ /धरमीदास उर्फ धन्नालाल के वारिसानों का होने से उक्त सम्पत्ति की खातेदारी व काश्तकारी अपीलार्थी के नाम किया जाना नितान्त आवश्यक है। चूंकि उक्त भूमि से लगती हुई अन्य भूमियों का बेचान होने से भू–माफियाओं की नजर भी उक्त सम्पत्ति को हड़पने की हो रही है जिसको रोकने हेतु उक्त भूमि की खातेदारी अपीलार्थी के नाम अंकन करने के आदेश पारित कर तहसीलदार अजमेर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 396 दिनांक 10–4–65 को अपास्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

उन्होंने यह भी कथन किया कि उक्त आराजियात अपीलार्थी के पूर्वजों के समय से खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। उक्त भूमि किसी मंदिर, मूंर्ति की होती तो उक्त भूमि का इन्द्राज सहायक आयुक्त, देव स्थान विभाग अजमेर में भी होता, परन्तु उक्त भूमि स्व0 श्री धन्नानाथ उर्फ धन्नादास की काश्त व खातेदारी में होने के कारण उक्त सम्पत्ति धन्नानाथ के नाम चली आ रही है। उक्त वादग्रस्त भूमि अपीलार्थी तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 21 की पैतृक होने के कारण आज दिवस तक कोई भी मंदिर व मस्जिद या चबूतरा आदि नहीं बना हुआ है और ना ही उक्त भूमि पर किसी भी मंदिर या अन्य कोई अवशेष मौजूद है। उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी काश्तकारी कब्जा अपीलार्थी का होने के कारण अपीलाधीन नामान्तरकरण दुरूस्त कर अपीलार्थी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर धन्नानाथ/धरमीदास उर्फ धन्नालाल के वारिसानों के नाम दर्ज करने एवं तहसीलदार अजमेर द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 396 दिनांक 10–4–65 निरस्त करने व धन्नानाथ/धरमीदास उर्फ धन्नालाल के वारिसानों के बराबर हिस्से अनुसार नाम नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 21 के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि तहसीलदार, अजमेर द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 396 विधिसम्मत नहीं होने के कारण व निरस्त योग्य होने से खारिज किया जावे । चूंकि अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 21 एक ही वंशावली से संबंध रखते है। अतः अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 से 21 तक के हित समान होने से अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर विवादग्रस्त आराजियात में अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 21 के नाम नये सिरे से नामान्तरकरण बहिस्सा दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार, अजमेर को प्रदान किये जावे।

प्रत्यर्थी संख्या 22 व 23 की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक के द्वारा अपीलार्थी की अपील भारी मियाद बाहर प्रस्तुत किये जाने से अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य होने से मियाद बिन्दु पर ही निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया। साथ ही तहसीलदार, द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 396 दिनांक 10–4–1965 की पुष्टि किये जाने का भी अनुरोध किया गया। अन्त में अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अनुसार विवादित आराजियात बाबत बक्सीस के कारण दिनांक 29–9–1918 को अर्थात 1918 में निम्नानुसार अंकित किया गयाः–

> ''दाखिल खारिज बनाम मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज किया जावे बाअहतमाम चन्द्रदास व हरिदास किया जावे।''

अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सजरे अनुसार चन्द्रदास का नाम सजरे में वर्णित है परन्तु हरिदास का उल्लेख सजरे में कहीं भी नहीं है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत सजरा अधूरा है तथा सजरे में तथ्यों को छिपाया गया है । प्रपत्र के कॉलम संख्या 9 में ''बक्सीस'' अंकित है तथा कॉलम संख्या 6 में दिनांक 6–8–18 अंकित हैं परिवर्तन के कॉलम संख्या 5 में ''मंदिर श्री रूघनाथजी महाराज राजमौतमिम पुजारी चन्द्रदास वल्द नारायण दास व प्रभुदास वल्द छोटूदास कौम साधु गोत रामावत साकिन चाचियावास'' अंकित है। यहॉ ये विशेष उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में वादग्रस्त आराजियत बाबत् ''मंदिर धन्नानाथ महाराज'' अंकित किया है जबकि उक्त आराजियत बाबत् राजस्व रिकॉर्ड में मंदिर रूघनाथजी महाराज अंकित है जो अपने आप में एक भारी विरोधाभासी तथ्य है ।

अपील के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम माकड़वाली में स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 1680, 1686 मिन, 1684, 1685 मिन, 1737, 1671 कुल रकबा 28 बीघा अंकित है जो पुराने खसरा नंबर अर्थात् राजस्व रिकॉर्ड दिनांक 29–9–1918 में अंकितानुसार है जबकि अपीलार्थी को प्रस्तुत अपील में वर्तमान खसरा नंबर (खसरा मिलान क्षेत्रफल) के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिये थी।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि पत्रावली में उपलब्ध अपीलार्थी द्वारा फर्द दस्तावेज के साथ प्रस्तुत सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, अजमेर से सूचना के अधिकार में प्राप्त सूचना (विभाग का पत्रांक आरटीआई/देव/2019–20/330 दिनांकित 12–2–2020) में अंकित किया गया है कि ''वर्णित मंदिर श्री धन्नानाथ जी महाराज अजमेर देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय मंदिर नहीं है और न ही पंजीकृत प्रन्यास है''। इस पत्र में कहीं भी वादग्रस्त आराजियत बाबत् मंदिर श्री रूघनाथजी महाराज का उल्लेख नहीं है जबकि वादग्रस्त आराजियत मंदिर श्री रूघनाथजी महाराज के नाम से है । इस प्रकार अपीलार्थी ने यह दस्तावेज प्रस्तुत कर न्यायालय को मात्र दिगभ्रमित करने का प्रयास किया गया है जो एक अनुचित साधन का प्रयोग मात्र माना जावेगा ।

अपीलार्थी ने ग्राम माकड़वाली में स्थित वादग्रस्त आराजियत अपने पूर्वजों को बक्सीस में प्राप्त होना अंकित किया है जबकि बक्सीस की पुष्टि अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार के तहत संबंधित बक्सीसनामें की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसीलदार तहसीलदार, अजमेर से चाहे जाने पर तहसीलदार अजमेर के पत्रांक भू.अ./सू.अ./2020/1493 दिनांकित 13–3–2020 के अवलोकन से होती है

जिसके द्वारा तहसीलदार ने अपीलार्थी को अवगत कराया है कि ''ग्राम माकड़वाली के नामान्तरकरण संख्या (दाखिला खारिज) नम्बर 38 दिनांक 29–9–1918 से संबंधित बक्सीसनामें की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई है। नामान्तरकरण में दर्शाये गये बक्सीसनामें की तलाश कार्यालय में की गई परन्तु सघन तलाश के बावजूद लगभग 102 वर्ष पुराना उक्त बक्सीसनामा सहज उपलब्ध नहीं हो पाया है अतः प्रतिलिपि दिया जाना संभव नहीं है'' प्रस्तुत किया है। बक्सीसनामे के अभाव में इस प्रकरण में कोई भी निर्णय लिया जाना न्यायोचित नहीं होगा ।

अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा दर्ज नामान्तरकरण संख्या 396 दिनांक 10–4–1965 में कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है ।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (तहसीलदार) अजमेर द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 396 दिनांक 10–4–1965 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है । साथ ही सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग अजमेर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम माकड़वाली में स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 1680, 1686 मिन, 1684, 1685 मिन, 1737, 1671 कुल रकबा 28 बीघा जो राजस्व रिकॉर्ड दिनांक 29–9–1918 में अंकितानुसार ''मंदिर श्री रूघनाथजी महाराज राजमौतमिम पुजारी चन्द्रदास वल्द नारायण दास व प्रभुदास वल्द छोटूदास कौम साधु गोत रामावत साकिन चाचियावास'' के नाम है, को यदि यह ''मंदिर श्री रूघनाथजी महाराज'' देवस्थान विभाग की सूची में हो तो इस मंदिर के नाम इस वादग्रस्त आराजियत को तहवील में लेने की कार्यवाही संपादित कर पालना रिपोर्ट 03 माह के अंदर प्रस्तुत करें । निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे । निर्णय की प्रमाणित प्रति सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, अजमेर को भिजवायी जावे । अधिनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित अधिनस्थ न्यायालय को पुनः भिजवाया जावे । आदेश अनुरूप तहरीर जारी हो ।

(लक्ष्मी नारायण मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर